

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्रीमान् उपशासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग जयपुर के पत्रांक प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक 24.05.17 एवं श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 एवं संशोधित समसंख्यक आदेश दिनांक 31.05.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में माध्यमिक/उमावि में स्वीकृत तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III के रिक्त पदों पर कार्मिकों द्वारा परामर्श शिविर में विकल्प प्रस्तुत किये जाने के पश्चात निम्नानुसार पदस्थापन/समायोजन आदेश जारी किये जाते हैं।

क्र.सं.	नाम अभ्यर्थी	वर्तमान पदस्थापन विद्यालय का नाम	पद	पदस्थापन/समायोजन स्थान	विवि
1	राजकुमारी शर्मा	राआउमावि शेरुणा,	शा. शि. ग्रेड-III	राबामावि उदासर, बीकानेर	
2	सीता शर्मा	राउमावि बिग्गा	शा. शि. ग्रेड-III	रामावि लोडेंरा, श्री डूंगरगढ़	
3	सुनीता भाटी	राआउमावि छत्तरगढ़	शा. शि. ग्रेड-III	रामावि बामनवाली, लूणकरनसर	
4	कमलेश मंगलाव	राआउमावि जैतपुर	शा. शि. ग्रेड-III	राआमावि चकजोड़, लूणकरनसर	
5	राजबाला	राउमावि तोलियासर	शा. शि. ग्रेड-III	रामावि सतासर श्री डूंगरगढ़	


संबंधित संस्था प्रधान निम्न बिन्दुओं का अवलोकन कर पालना सुनिश्चित करावे

1. कार्मिक न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे एवं सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जावे।
2. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2011 के तहत समायोजित कार्मिक को शहरी क्षेत्र हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना कार्यालय को प्रेषित की जावे।
3. कार्मिक को दिनांक 12.06.2017 तक कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की कार्यवाही करवाते हुए शाला दर्पण पर अपडेट करवाते हुए सूचना इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करावें।

— Ed —
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
दिनांक 03.06.2017

क्रमांक जिशिअ/माध्य/बीका/संस्था-2/3बी/2017/3828-36
प्रतिलिपि

1. श्रीमान् शासन उपसचिव शिक्षा ग्रुप-2 विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. श्रीमान् निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. श्रीमान् उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर मण्डल, बीकानेर।
5. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
6. श्रीमान् ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कम प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,.....।
6. संबंधित संस्था प्रधान।
6. संबंधित कार्मिक।
7. रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
कार्यालय आदेश

श्रीमान् उपशासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग जयपुर के पत्रांक प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक 24.05.17 एवं श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 एवं संशोधित समसंख्यक आदेश दिनांक 31.05.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में माध्यमिक/उमावि में स्वीकृत तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक लेवल-1A (संस्कृत) के रिक्त पदों पर कार्मिकों द्वारा परामर्श शिविर में विकल्प प्रस्तुत किये जाने के पश्चात निम्नानुसार पदस्थापन/समायोजन आदेश जारी किये जाते हैं।

क्र.सं.	नाम अभ्यर्थी	वर्तमान पदस्थापन विद्यालय का नाम	विषय	पदस्थापन/समायोजन स्थान	विवि
1	संतोष चौधरी	रामावि मोडायत	संस्कृत	रामावि धोबीतलाई, बीकानेर	विधवा
2	प्रियंका यादव	राउमावि रासीसर पुरोहित बास, पांचू	संस्कृत	रा.बा.उमावि रावतमल बोथरा गंगाशहर, बीकानेर	
3	मीनू शर्मा	राउमावि शेरपुरा	संस्कृत	राआउमावि सूई, लूणकरनसर	
4	पुष्पा शर्मा	राउमावि गुसाईसर बड़ा	संस्कृत	राउमावि सुरजनसर	अनुदानित

संबंधित संस्था प्रधान निम्न बिन्दुओं का अवलोकन कर पालना सुनिश्चित करावे

1. कार्मिक न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे एवं सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जावे।
2. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2011 के तहत समायोजित कार्मिक को शहरी क्षेत्र हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना कार्यालय को प्रेषित की जावे।
3. कार्मिक को दिनांक 12.06.2017 तक कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की कार्यवाही करवाते हुए शाला दर्पण पर अपडेट करवाते हुए सूचना इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करावें।

— Sol —
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
दिनांक 03.06.2017

क्रमांक जिशिअ/माध्य/बीका/संस्था-2/3बी/2017/3819-27
प्रतिलिपि

1. श्रीमान् शासन उपसचिव शिक्षा ग्रुप-2 विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. श्रीमान् निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. श्रीमान् उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर मण्डल, बीकानेर।
5. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
6. श्रीमान् ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कम प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,.....।
6. संबंधित संस्था प्रधान।
6. संबंधित कार्मिक।
7. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर